राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग
तल-4, ईस्ट ब्लॉक-6, सेक्टर-1, आर. के. पुरम
नई दिल्ली-110066
वेबसाइट: - https://www.mospi.gov.in

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत नियमावली

नियमावली-1

आयोग के संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन 12 जुलाई, 2006 को देश की सभी कोर सांख्यिकीय गतिविधियों के लिए एक नोडल और अधिकार प्राप्त निकाय के रूप में कार्य करने और सांख्यिकीय प्राथमिकताओं और मानकों को विकसित, मॉनीटर और लागू करने और सांख्यिकीय समन्वय सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। आयोग में एक अंशकालिक अध्यक्ष, चार अंशकालिक सदस्य और सीईओ, नीति आयोग पदेन सदस्य के रूप में शामिल हैं। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् (सीएसआई) आयोग के सचिव हैं। उनकी दोहरी भूमिका है, क्योंकि वे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव भी हैं।

1 जून, 2005 के भारत सरकार के संकल्प में आयोग के कार्य निम्नलिखित बताए गए हैं।

(क) मुख्य आंकड़ों की पहचान करना, जो राष्ट्रीय महत्व के हैं और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं;

(ख) विभिन्न तकनीकी विषयों पर आयोग की सहायता के लिये वृत्तिक समितियों या कार्यदलों का गठन करना;

(ग) सांख्यिकीय प्रणाली से संबंधित राष्ट्रीय नीतियां और प्राथमिकताएं तैयार करना;

(घ) विभिन्न क्षेत्रों में मानक सांख्यिकीय अवधारणाओं, परिभाषाओं, वर्गीकरणों और पद्धतियों को विकसित करना

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग
तल- 4, पूर्वी ब्लॉक- 6, सेक्टर- 1, आर. के पुरम
नई दिल्ली- 110066
वेबसाइट:- https://www.mospi.gov.in

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत नियमावली

(ड़) विभिन्न डेटा सेटों के लिए रिलीज़ कैलेंडर सहित मुख्य आँकड़ों के संग्रह, सारणीकरण और प्रसार के लिए राष्ट्रीय रणनीतियाँ विकसित करना;

(च) सूचना प्रौद्योगिकी और सांख्यिकीय प्रणाली की संचार आवश्यकताओं सहित आधिकारिक आंकड़ों पर मानव संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय रणनीतियाँ विकसित करना;

(छ) आधिकारिक आँकड़ों में जनता के विश्वास में सुधार के लिए उपाय विकसित करना;

(ज) मौजूदा संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ करने सहित सांख्यिकीय गतिविधियों पर राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के साथ प्रभावी समन्वय के लिए उपाय विकसित करना;

(झ) केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और अन्य एजेंसियों के बीच सांख्यिकीय समन्वय स्थापित करना;

(ञ) सांख्यिकीय उत्पादों की गुणवत्ता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए सांख्यिकीय गतिविधियों पर सांख्यिकीय ऑडिट करना;

(ट) केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार, जैसी भी स्थिति हो, को खंड (ग) से (ज) के तहत विकसित मानकों, रणनीतियों और अन्य उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने के उपायों की संस्तुति करना;

(ठ) राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के क़ानून सहित सांख्यिकीय मामलों पर विधायी उपायों की आवश्यकता पर सरकार को सलाह देना;

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग
तल- 4, पूर्वी ब्लॉक- 6, सेक्टर- 1, आर. के पुरम
नई दिल्ली- 110066
वेबसाइट:- https://www.mospi.gov.in

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत नियमावली

(ड) निर्धारित नीतियों, मानकों और कार्यप्रणालीयों के आलोक में सांख्यिकीय प्रणाली के कामकाज की निगरानी और समीक्षा करना तथा बेहतर प्रदर्शन के लिए उपायों की संस्तुति करना।

आयोग के कार्यों को निपटाने में उसे सहायता प्रदान करने के लिए आयोग के सचिव को सहयोग देने हेतु, एक लघु सचिवालय बनाया गया है जिसमें एक उप महानिदेशक और एक निदेशक के साथ अन्य सहायक कर्मचारी शामिल हैं

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग
तल- 4, पूर्वी ब्लॉक- 6, सेक्टर- 1, आर. के पुरम
नई दिल्ली- 110066
वेबसाइट:- https://www.mospi.gov.in

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत नियमावली

नियमावली-2

आयोग में अध्यक्ष/सदस्यों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य

आयोग के पास अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से और कुशलतापूर्वक निष्पादित करने के लिए अपेक्षित स्वायत्तता है। विशेष रूप से, आयोग के पास निम्नलिखित शक्तियां हैं:-

- किसी भी दस्तावेज़ को तैयार करने की अपेक्षा करना जो आयोग की राय में सांख्यिकीय उद्देश्यों की पूर्ति करेगा या कर सकता है;
- सांख्यिकीय एजेंसियों और संस्थानों को मुख्य आंकड़ों के संबंध में सांख्यिकीय गतिविधियों का विवरण प्रदान करने की अपेक्षा करना, जिसमें प्रयुक्त अवधारणाएं और परिभाषाएं, अपनाई गई पद्धतियां, अपनाए गए गुणवत्ता मानक, प्रतिदर्शकरण और गैर- प्रतिदर्शकरण त्रुटियां आदि शामिल हैं;
- मुख्य सांख्यिकी से जुड़े मामलों पर किसी लोक सेवक सहित किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति की अपेक्षा करना; और
- गवाहों और दस्तावेजों की जांच या मुख्य आंकड़ों से जुड़े किसी भी मामले के लिए नोटिस जारी करना।

ऊपर उल्लिखित शक्तियों का प्रयोग आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाएगा।

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग
तल- 4, पूर्वी ब्लॉक- 6, सेक्टर- 1, आर. के पुरम
नई दिल्ली- 110066
वेबसाइट:- https://www.mospi.gov.in

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत नियमावली

नियमावली-3

पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनल सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली।

आयोग वर्तमान में एक सलाहकार निकाय है। इसलिए, इसमें कोई निर्णय लेने की प्रक्रिया शामिल नहीं है। आयोग के आदेश के अनुसार सांख्यिकीय मुद्दों को शुरू में इसके सचिवालय द्वारा संसाधित किया जाता है और उसके बाद, विचार और सलाह के लिए आयोग के समक्ष रखा जाता है। आयोग, जहां आवश्यक हो, संबंधित सरकारी विभागों से परामर्श करने के बाद उसे संदर्भित सांख्यिकीय मुद्दों पर अपनी सिफारिशें देता है।

संबंधित सरकारी विभाग विभिन्न सांख्यिकीय मुद्दों पर समय-समय पर आयोग द्वारा की गई संस्तुतियों पर निर्णय लेंगे। आयोग संसद के प्रति उत्तरदायी है क्योंकि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए उस अवधि के दौरान की गई संस्तुतियों वाली इसकी वार्षिक रिपोर्ट सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर एक ज्ञापन के साथ संसद के दोनों सदनों में रखी जाएंगी।

आयोग के सचिवालय में, पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनल नीचे दिए गए हैं।

"सहायक स्टॉफ, निदेशक, उप महानिदेशक, सचिव"

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग
तल- 4, पूर्वी ब्लॉक- 6, सेक्टर- 1, आर. के पुरम
नई दिल्ली- 110066
वेबसाइट:- https://www.mospi.gov.in

<u>सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत नियमावली</u>

<u>नियमावली-4</u>

आयोग द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित मानदंड

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग ने अपने कार्यों के निर्वहन के लिए कोई विशिष्ट मानदंड निर्धारित नहीं किए हैं। तथापि, आयोग द्वारा की गई संस्तुतियाँ जब भी की जाती हैं, उसके सचिवालय द्वारा संबंधित सरकारी विभागों को भेज दी जाती हैं।

एक वित्तीय वर्ष के दौरान आयोग द्वारा की गई संस्तुतियाँ उस वर्ष के लिए आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में दर्ज की जाती हैं। भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III-खंड 4 में प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 85 दिनांक 1 जून,2005 में निहित निर्देशों के अनुसार , आयोग को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। अधिसूचना का प्रासंगिक उद्धरण नीचे दिया गया है।

> "12. आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी गतिविधियों का पूरा विवरण दिया जाएगा और उसे केंद्र सरकार को अग्रेषित किया जाएगा। केंद्रीय सरकार वार्षिक रिपोर्ट के साथ साथ उसमें संस्तुतियों पर की गई कार्रवाई और ऐसी संस्तुतियों में से किसी भी संस्तुति की अस्वीकृति, यदि कोई है, के लिए कारणों के ज्ञापन को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेगी। जहाँ कोई संस्तुति या उसका कोई भाग किसी भी राज्य सरकार से संबंधित है, आयोग ऐसी राज्य सरकारों को ऐसी संस्तुति या उसके भाग की एक प्रति अग्रेषित करेगा जो इसे राज्यों से संबंधित संस्तुतियें पर की गई कार्रवाई और ऐसी संस्तुतियों में से किसी संस्तुति की अस्वीकृति, यदि कोई है, के लिए कारणों का वर्णन करने वाले ज्ञापन के साथ राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखेगी।

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग
तल-4, पूर्वी ब्लॉक-6, सेक्टर-1, आर.के. पुरम
नई दिल्ली-110066
वेबसाइट:- https://www.mospi.gov.in

<u>सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत नियमावली</u>

<u>नियमावली -5</u>

नियम, विनियम, निर्देश, मैनुअल और रिकॉर्ड, जो इसके द्वारा रखे गए हैं या इसके नियंत्रण में हैं या इसके कर्मचारियों द्वारा इसके कार्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किए जाते हैं

आयोग भारत सरकार द्वारा जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं में दिए गए आदेश के अनुसार अपने कार्यों का निर्वहन करता है।

(i) राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के गठन के सरकारी संकल्प के संबंध में दिनांक **19 दिसंबर, 2019 के भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना अधिसूचना संख्या 478** भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III-खंड 4 में प्रकाशित हुई। इस अधिसूचना में अन्य बातों के साथ-साथ एनएससी की संरचना, एनएससी अध्यक्ष और सदस्यों की चयन प्रक्रिया, एनएससी अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल, राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के कार्य, राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की शक्तियां, संसद के प्रति आयोग की जिम्मेदारी, आयोग को बजटीय सहायता का विवरण इत्यादि शामिल है।

(ii) सेवा शर्तों के संबंध में **दिनांक 10 मई 2006 के भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 465**, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2-खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित हुई। इस अधिसूचना में अन्य बातों के साथ-साथ अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल और सेवा शर्तों, अध्यक्ष और सदस्यों को मासिक वेतन, भारत के मुख्य सांख्यिकीयविद् की नियुक्ति, कार्यकाल और सेवा शर्तों आदि का विवरण शामिल है।

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग
तल-4, पूर्वी ब्लॉक-6, सेक्टर-1, आर.के. पुरम
नई दिल्ली-110066
वेबसाइट:- https://www.mospi.gov.in

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत नियमावली

(iii) **दिनांक 30.08.2006 के संकल्प संख्या एम-13011/1/96-प्रशा. IV,** जिसमें **राष्ट्रीय** सांख्यिकीय आयोग द्वारा एनएसएसओ की गवर्निंग काउंसिल द्वारा निष्पादित सभी कार्यों को मानने के संबंध में कहा गया है। इस संकल्प में इस संकल्प की तारीख से राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की गवर्निंग काउंसिल को भंग करने का सरकार का निर्णय शामिल है।

(iV) **दिनांक 5 दिसंबर 2011 के भारत सरकार की अधिसूचना संख्या. 232,** जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III-खंड 4 में सांख्यिकीय सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए दिशानिर्देशों के संबंध में प्रकाशित हुई। यह अधिसूचना किसी भी सांख्यिकीयय सर्वेक्षण का संचालन करने का इरादा रखने वाले केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा पालन किए जाने वाले विस्तृत दिशानिर्देशों से संबंधित है।

(v) भारत के मुख्य सांख्यिकीयविद् की सेवा शर्तों के संबंध में **22 फरवरी, 2018 को भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 69 भारत के राजपत्र** में प्रकाशित हुई। यह सेवा शर्तें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी और भारत के मुख्य सांख्यिकीयविद् के प्रावधानों के संबंध में असहमति की सीमा तक, भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित 1 जून, 2005 के संकल्प संख्या 85, दिनांक में दिए गए प्रावधानों को हटा दिया जाएगा। भाग-III-खंड-4, दिनांक 10.05.2006 के अधिसूचना संख्या 465 में, भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित, भाग-2-खंड-3-उप-खंड (ii) में और अधिसूचना संख्या 19 में, राजपत्र में प्रकाशित ऑफ इंडिया वीकली (9-15 मई 2015)

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग
तल-4, पूर्वी ब्लॉक-6, सेक्टर-1, आर.के. पुरम
नई दिल्ली-110066
वेबसाइट:- https://www.mospi.gov.in

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत नियमावली

नियम, विनियम आदि, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होते हैं, सचिवालय से लेकर आयोग तक के कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं ।

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग
तल-4, पूर्वी ब्लॉक-6, सेक्टर-1, आर.के. पुरम
नई दिल्ली-110066
वेबसाइटः- https://www.mospi.gov.in

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत नियमावली

नियमावली-6

आयोग द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग सचिवालय के पास निम्नलिखित विषयों के संबंध में रिकॉर्ड हैं ।

(1) आयोग में रिक्तियों को समय-समय पर भरने की प्रक्रिया।

(2) आयोग की बैठकों से संबंधित कार्यसूची पत्र और कार्यवृत्त।

(3) आयोग द्वारा सरकार को प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट।

आयोग के सचिवालय में कर्मचारियों के सेवा रिकार्ड सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा रखे जाते हैं।

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग
तल-4, पूर्वी ब्लॉक-6, सेक्टर-1, आर.के. पुरम
नई दिल्ली-110066
वेबसाइट:- https://www.mospi.gov.in

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत नियमावली

नियमावली-7

किसी भी व्यवस्था का विवरण जो अपनी नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद है

आयोग के पास सामान्य रूप से जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तथापि, इसके पास विभिन्न तकनीकी मुद्दों पर सहायता के लिए पेशेवर समितियों या कार्य समूहों का गठन करने की शक्ति है।

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग
तल-4, पूर्वी ब्लॉक-6, सेक्टर-1, आर.के. पुरम
नई दिल्ली-110066
वेबसाइट:- https://www.mospi.gov.in

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत नियमावली

नियमावली -8

बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के भाग के रूप में या इसकी सलाह के प्रयोजन के लिए गठित दो या दो से अधिक व्यक्तियों के गठन वाले बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण, और क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए उपलब्ध हैं, या क्या इन बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए सुलभ हैं।

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग, एक सलाहकार निकाय होने के नाते, किसी भी बोर्ड, परिषद, समितियों और अन्य निकायों का गठन नहीं करता है, इसके अलावा, इसके पास विभिन्न तकनीकी मुद्दों पर सहायता के लिए पेशेवर समितियों या कार्य समूहों का गठन करने की शक्ति है।

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग

तल-4, ईस्ट ब्लॉक-6, सेक्टर-1, आर.के. पुरम
नई दिल्ली-110066
वेबसाइट: https://www.mospi.gov.in

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत नियमावली

नियमावली-9

आयोग में अध्यक्ष/सदस्यों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका

दिनांक 31 दिसंबर, 2023 तक की स्थिति निम्नलिखित लिंक में दी गई है।

एनएससी से संपर्क के लिए

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग
तल-4, ईस्ट ब्लॉक-6, सेक्टर-1, आर.के. पुरम
नई दिल्ली-110066
वेबसाइट: https://www.mospi.gov.in

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत नियमावली

नियमावली- 10

इसके प्रत्येक अधिकारी और कार्मिक द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें इसके विनियमों में प्रदान की गई मुआवजे की प्रणाली भी निम्नानुसार है

आयोग

सीईओ, नीति आयोग द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक आदि पर व्यय, जो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के पदेन सदस्य है, आयोग के बजटीय आवंटन से पूरा नहीं किया जाता है। अंशकालिक अध्यक्ष एवं अन्य अंशकालिक सदस्यों के संबंध में स्थिति निम्नानुसार है।

क्रम संख्या	पदनाम	प्रति माह मानदेय
1.	अंशकालिक अध्यक्ष	10000 रू.
2.	अंशकालिक सदस्य	7,500 रू.

अंशकालिक अध्यक्ष/सदस्य को देय अन्य भत्ते भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II-खंड 3- उप-खंड -(ii) में प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 465 दिनांक 10 मई 2006 में निहित निर्देशों के अनुसार नियमित होते हैं।

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग
तल-4, ईस्ट ब्लॉक-6, सेक्टर-1, आर.के. पुरम
नई दिल्ली-110066
वेबसाइट: https://www.mospl.gov.in

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत नियमावली

सचिवालय

भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक पर व्यय आदि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के बजटीय आवंटन से पूरा नहीं किया जाता है, क्योंकि ऐसा व्यय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वहन किया जाता है, जिसके वह सचिव भी हैं । सचिवालय में शेष कर्मचारियों को नीचे उल्लिखित उनके संबंधित वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में मासिक पारिश्रमिक और लागू भत्ते का भुगतान किया जा रहा है।

क्रम संख्या	पदनाम	वेतनमान	वेतन स्तर
1.	उप महानिदेशक	144200-218200 रू.	14
2.	निदेशक	118500 - 214100 रू.	13
3.	निजी सचिव	47600 -151100 रू.	8
4.	अवर श्रेणी लिपिक	19900-63200 रू.	2
5.	मल्टी टास्किंग स्टाफ	18000-56900 रू.	1

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग

तल-4, ईस्ट ब्लॉक-6, सेक्टर-1, आर.के. पुरम
नई दिल्ली-110066
वेबसाइट: https://www.mospi.gov.in

<u>सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत नियमावली</u>

<u>नियमावली- 11</u>

इनकी प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट दर्शाते हुए सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण पर रिपोर्ट का विवरण ।

आयोग की स्थापना के कारण वेतन और पारिश्रमिक, घरेलू यात्रा, कार्यालय व्यय, आवास किराए पर लेना, पेशेवर सेवाएं, प्रशासनिक सेवाएं और आयोग के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन की आवश्यकताओं सहित वार्षिक व्यय बजट (प्रमुख शीर्ष 3451) , सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से पूरा किया जा रहा है जो संसद द्वारा अनुमत्य है ।

आयोग की स्थापना के कारण आवंटन और व्यय का विवरण समय-समय पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा तैयार किए जाते है और सार्वजनिक डोमेन में रखे गए बजट विवरणों में शामिल किया जाता है।

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग

तल-4, ईस्ट ब्लॉक-6, सेक्टर-1, आर.के. पुरम
नई दिल्ली-110066
वेबसाइट: https://www.mospi.gov.in

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत नियमावली

नियमावली- 12

आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों सहित सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन की पद्धति ।

आयोग कार्यालय के पास इस प्रचालन में कोई सब्सिडी कार्यक्रम नहीं है।

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग
तल-4, ईस्ट ब्लॉक-6, सेक्टर-1, आर.के. पुरम
नई दिल्ली-110066
वेबसाइट: https://www.mospi.gov.in

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत नियमावली

नियमावली- 13

इसके द्वारा रियायतें, परमिट या प्राधिकार प्राप्त करने वालों का ब्यौरा ।

आयोग को बजटीय आवंटन में छूट, अनुज्ञा-पत्र या प्राधिकरण देने का कोई प्रावधान नहीं है।

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग
तल- 4, ईस्ट ब्लॉक- 6, सेक्टर- 1, आर. के. पुरम
नई दिल्ली- 110066
वेबसाइट:- https://www.mospi.gov.in

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत नियमावली

नियमावली-14

आयोग के पास उपलब्ध या उसके पास मौजूद जानकारी के संबंध में ब्यौरा इलेक्ट्रॉनिक क्रम के रूप में किया गया हैं

आयोग द्वारा भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय को समय-समय पर प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट और आयोग की विभिन्न बैठकों के एजेंडे और कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध है।

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग
तल- 4, ईस्ट ब्लॉक- 6, सेक्टर- 1, आर. के. पुरम
नई दिल्ली- 110066
वेबसाइट:- https://www.mospi.gov.in

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत नियमावली

नियमावली- 15

सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, जिसमें पुस्तकालय या वाचनालय के कामकाजी घंटे भी शामिल हैं, यदि सार्वजनिक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं।

1. **सूचना एवं सुविधा काउंटर:-** सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में एक सूचना एवं सुविधा काउंटर है इस काउंटर पर आयोग के कार्यों से संबंधित जानकारी उपलब्ध हैं।

2. **बेवसाइट का पता (**http://www.mospi.gov.in):- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई है और इसका रखरखाव कम्प्यूटर सेंटर द्वारा किया जा रहा है। आयोग से संबंधित जानकारी उपरोक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है।

3. **पुस्तकालय:-** वर्तमान में आयोग के पास कोई विशेष पुस्तकालय सुविधा नहीं हैं।

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग
तल- 4, ईस्ट ब्लॉक- 6, सेक्टर- 1, आर. के. पुरम
नई दिल्ली- 110066
वेबसाइट:- https://www.mospi.gov.in

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत नियमावली

नियमावली- 16

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग और उसके सचिवालय से संबंधित मामलों के संबंध में नामित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और अपीलीय प्राधिकरण की जानकारी नीचे दिए गए लिंक पर दी गई है।

कार्यालय आदेश एफ. सं.- I- 34011/1/2009- आरटीआई दिनांक 19 दिसम्बर 2023, द्वारा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओएस) और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएएएस) को नामित करने के संबंध में।

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग
तल- 4, ईस्ट ब्लॉक- 6, सेक्टर- 1, आर. के. पुरम
नई दिल्ली- 110066
वेबसाइट:- https://www.mospi.gov.in

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत नियमावली

नियमावली- 17

अन्य सूचना

आयोग के संबंध में अन्य सूचना 'शून्य' है।